हत्या के मामले में एक ही परिवार के सात लोगों को आजीवन कारावास

11 साल पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या की थी, दोषियों में पति-पत्नी और बेटी भी थी

- पुलिस ने चालान में एक आरोपी को दोषी बताया था, लेकिन सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी पाया
- कोर्ट ने आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

बीकानेर, (निसं)। जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक ही परिवार के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। दोषियों में पति-पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। 11 साल पहले युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

पुलिस ने चालान में एक आरोपी को दोषी बताया था, लेकिन सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने सात आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने माना कि हत्या सामूहिक रूप से की गई, इसलिए सातों अभियुक्त दोषी हैं। घटना बीकानेर के बम्बलू गांव में 27 मई 2014 को हुई थी। भंवरनाथ निवासी बम्बलू ने गांव के ही दुर्गनाथ से एक जमीन खरीदी थी। हत्या के आरोपियों का दावा था कि उनका जमीन में हिस्सा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर गांव में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पंचायत हुई थी, जिसमें तय हुआ कि जमीन बेची गई है और भंवरनाथ ने खरीदी है। इसके बाद दुर्गनाथ के मामा अपने परिजनों को समझाने भी गए। दोनों पक्षों को समझाया भी गया था।

27 मई 2014 को अन्नानाथ ने बीकानेर के बम्बलू स्थित पुलिस चौकी पर रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसके भाई भंवरनाथ की हत्या कर दी गई है। भंवरनाथ अपने चाचा के घर जा रहा था। रास्ते में एक पिकअप में सवार होकर आए लोगों ने उसे रोक लिया। इस दौरान मोहननाथ पिकअप चला रहा था। उसके साथ हेमनाथ, धन्नानाथ, शंकरनाथ, बाधु, सीता और सरोज भी थी। इन सभी ने मिलकर भंवरनाथ के साथ मारपीट की। पीबीएम हॉस्पिटल में मृतक का पोस्टमॉर्टम कराया गया, जिसमें भंवरनाथ के शरीर पर करीब 40 जगह गंभीर चोट के निशान मिले थे। इसके बाद जामसर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने अगस्त 2014 में चालान पेश किया, जिसमें मोहननाथ को हत्यारा बताया। इसके बाद से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सबूत और गवाहों को आधार मानते हुए कोर्ट ने मोहन समेत कुल 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन सगे भाइयों मोहननाथ, हेमनाथ और धन्नानाथ, हेमनाथ के बेटे शंकर नाथ, शंकर की पत्नी बाधु, बेटी सरोज और मोहन नाथ की पत्नी सीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, जिसे नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में परिवादी की ओर से एडवोकेट ओ.पी. हर्ष ने अदालत में पक्ष रखा।

नौ साल के भतीजे की हत्या करने वाले ताऊ को उम्रकैद की सजा सुनाई

- गोली मारकर हत्या करने के बाद सबूत छुपाने के लिए शव को खेत में दफना दिया था
- आरोपी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह भतीजे को अपने पास ले गया था

बीकानेर, (निसं)। जिले के श्रीडूंगरगढ़ में नौ साल के भतीजे की गोली मारकर हत्या करने वाले ताऊ को एडीजे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जज सरिता नौशाद ने वर्ष 2018 में हुए इस मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी पवन पुत्र मोहनराम को दोषी करार दिया।

अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने बताया कि दातारामगढ़ निवासी और घटना के समय कालेरा रोही में रहने वाली केसरदेवी पत्नी सुरेश ने 28 जनवरी 2018 को अपने जेठ पवन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया था कि पवन ने उसके नौ साल के बेटे मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। सबूत छुपाने के लिए शव को खेत में दफना दिया गया।

रिपोर्ट पर पुलिस ने 30 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने चुनाराम के खेत से जमीन में दफनाए गए मासूम के शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम करवाया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त बंदूक और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए।

पीड़िता केसर देवी के अनुसार आरोपी पवन के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह उसके बेटे मुकेश को अपने पास ले गया था। पीड़िता ने बताया कि उसने अपनी ननद और नणदोई के जरिए मुकेश को आरोपी के डेरे पर भेजा था। कुछ समय बाद पवन ने उन्हें बताया कि मुकेश रात में डेरे से गायब हो गया है। जब परिजनों ने तलाश शुरू की तो एक पड़ोसी ने बताया कि पवन ने रात में ही मुकेश को गोली मार दी और शव को घर के पास खेत में मिट्टी में दबा दिया। करीब आठ साल तक कोर्ट में सुनवाई चली, इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

रिश्वत लेते गिरफ्तार कार्मिक की सेवाएं समाप्त की

- एलआरपी धर्मेंद्र की सेवाएं समाप्त, बीपीएम रेणुका की सेवा समाप्त करने की अभिशंषा राज्य मिशन निदेशक को भिजवाई

रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार आरोपी।

झुंझुनूं, (निसं)। गत 10 नवंबर को रिश्वत लेते गिरफ्तार राजीविका की चिड़ावा बीपीएम रेणुका तथा सुलताना कलस्टर के एलआरपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब राजीविका ने बड़ा एक्शन लिया है। जिला परियोजना प्रबंधक विप्लव न्यौला की अभिशंषा पर एलआरपी धर्मेंद्र की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, जबकि बीपीएम रेणुका की सेवा समाप्त करने की अभिशंषा भी राज्य मिशन निदेशक को भिजवा दी गई है।

इस मामले में जिला परियोजना प्रबंधक विप्लव न्यौला ने एसीबी की कार्रवाई के बाद ही एसीबी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। इसी आधार पर उन्होंने प्रेरणा राजीविका महिला सर्वांगिण विकास सहकारी समिति लिमिटेड सुलताना के प्रबंध मंडल को कलस्टर लेवल पर कार्यरत पशुधन संदर्भ व्यक्ति एलआरपी धर्मेंद्र कुमार की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंषा की थी। जिस पर संबंधित सहकारी समिति ने धर्मेंद्र कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी है। वहीं ऐसी ही एक अनुशंषा राज्य मिशन निदेशक को बीपीएम रेणुका की सेवा समाप्ति को लेकर की गई है। राज्य मिशन निदेशक को भेजी गई अनुशंषा में बीपीएम रेणुका द्वारा पिछले करीब एक साल से कार्य के प्रति बरती जा रही लापरवाही और रेणुका को दिए गए करीब आधा दर्जन नोटिसों का भी हवाला दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही रेणुका की सेवा समाप्ति के आदेश राज्य मिशन निदेशक की ओर से जारी होंगे। जानकारी के अनुसार ये दोनों ही रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी फिलहाल जेल में है।

विप्लव न्यौला, जिला परियोजना प्रबंधक, राजीविका, झुंझुनूं ने बताया कि चिड़ावा बीपीएम रेणुका के खिलाफ पहले भी शिकायतें थी। अंतिम नोटिस दिया हुआ था। इस दौरान ही रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गई थी। एलआरपी धर्मेंद्र भी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों की सेवा समाप्ति की अभिशंषा संबंधित अपाइन्टमेंट आथिरिटी को की गई थी। धर्मेंद्र की सेवा समाप्त कर दी गई है। बीपीएम का निर्णय राज्य मिशन निदेशक स्तर पर लिया जाना है।

मुख्य सूची जारी

अजमेर, (कासं)। आरपीएससी द्वारा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर (गृह-ग्रुप 1 विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत पात्रता जांच के बाद फिजिक्स डिवीजन के पद के लिए मुख्य सूची जारी कर दी है। आयोग सचिव ने बताया कि सूची में पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया गया। पात्रता जांच उपरांत विज्ञापित पद के विरुद्ध एक अभ्यर्थी को मुख्य सूची में सफल घोषित किया है।

आरएएस भर्ती-2024 के साक्षात्कार एक दिसंबर से

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 के प्रथम चरण की साक्षात्कार तिथियां घोषित कर दी हैं। इस भर्ती के पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 1 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों व उनकी फोटो कॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे।

तीन भर्तियों का साक्षात्कार कार्यक्रम भी जारी : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तीन अन्य भर्तियों हेतु भी साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 1 से 12 दिसंबर तक सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अंतर्गत भूगोल विषय के पदों के लिए साक्षात्कार का चतुर्थ चरण 1 से 12 दिसंबर 2025 एवं सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती-2018 के पदों हेतु अंतिम चरण के साक्षात्कार 1 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे।

सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत मेडिकल ऑन्कोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) के पदों हेतु साक्षात्कार का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाएगा। उक्त साक्षात्कारों में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर और उसे भरकर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।

सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों की चोरी

- बुजुर्ग का इलाज करवाने हरियाणा गया था परिवार, वापस लौटे तो ताले टूटे मिले

श्रीगंगानगर, (निसं)। सूने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नगदी चोरी करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक अपने परिवार के साथ अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए हरियाणा गया हुआ था। इस दौरान पीछे से सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी कर भाग गए। घटना श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र की है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में गोपालराम (66) निवासी गली नंबर-1, एसएसबी रोड (चक 3 ई छोटी) श्रीगंगानगर ने बताया कि वह अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए परिवार के साथ रोहतक (हरियाणा) गए हुए थे। मकान पिछले 12 दिन से बंद था। इस दौरान पीछे से मकान में चोर घुस गए। चोर कमरे के अंदर रखी अलमारी के ताले तोड़कर बेटी मंजू का 2.50 तोला सोना, पत्नी की सोने की बाली और 20 हजार रुपए कैश चोरी कर भाग गए। मकान मालिक जब वापस अपने घर पहुंचा तो मकान के टूटे हुए ताले लटक रहे थे और अंदर सामान बिखरा हुआ था। मकान में चोरी हो चुकी थी। जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह कर रहे हैं। पुलिस मकान के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

मंदिर में चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

कालू, (निसं)। यहां कालका माता मंदिर में 17 अक्टूबर को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए चांदी के छत्र और मुकुट चुराने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है।

चोरों ने मंदिर के पीछे से घुसकर गर्भ गृह का ताला तोड़ा था और अंदर प्रवेश कर चोरी को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष था और वे लगातार पुलिस प्रशासन से चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रकरण की गंभीरता और लोक भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने सुपरविजन में अलग-अलग टीमें गठित की। इन टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की पहचान की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगतसिंह उर्फ दीपक, पूजा उर्फ पूजी, और सवीता पत्नी जगतसिंह हैं।

दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया।

- युवक झगड़े का वीडियो बना रहा था, दोनों पक्षों में लाठी-डंडे, फरसी और गोलियां चली, करीब दो घंटे तक झगड़ा चलता रहा
- झगड़े में तीन महिलाओं सहित छह लोग घायल, पांच घायलों का अस्पताल में इलाज जारी
- पीड़ित के परिवार का आरोप है कि सुबह 9 से 11 बजे तक कंट्रोल रूम और थाने में कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची
- पीड़ित पक्ष की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब दो बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था

अलवर, (निसं)। एक परिवार के दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक झगड़े का वीडियो बना रहा था। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे, फरसी और गोलियां चलीं। झगड़े में तीन महिलाओं सहित 6 लोग घायल हुए। इनमें से 5 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

मामला अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह का है। पीड़ित पक्ष की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब दो बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर सुबह करीब दो घंटे तक झगड़ा चलता रहा। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि सुबह 9 से 11 बजे तक कंट्रोल रूम और थाने में कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

नौगांवा थानाधिकारी धर्मसिंह ने बताया कि अलवर की रघुनाथगढ़ कॉलोनी में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है। मामले की हर एंगल से जांच कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झगड़े में रफीक खान (30) पुत्र सुब्बा की मौत हुई है। पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही परिवार के हैं।

रफीक के परिजनों ने बताया कि रफीक के पिता सुब्बा की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब दो बिस्वा भूमि है। इसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोपी पूरी जमीन के बीच में अपना हिस्सा मांग रहे थे। इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे हमारी पूरी जमीन का नक्शा बिगड़ जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज सुबह आरोपी पक्ष 50-60 लोगों के साथ पहुंचा और हथियारों से हमला कर दिया। परिजनों का दावा है कि झगड़ा करीब दो घंटे तक चलता रहा। 9 से 11 बजे तक कंट्रोल रूम और थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। झगड़े के दौरान रफीक के सिर में गोली लग गई। उसे पहले नौगांवा के निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रफीक के परिजन शहरुन खान के अनुसार, आरोपी सुपेदा, रोशन, फजरू और सुलेमान के परिवार ने हमला किया। गोली लगने के बाद रफीक खान को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

झगड़े में रफीक की मां आसीनी (65) के सिर में भी चोट लगी है। रफीक के मामा महमूद (40) भी घायल हुए हैं। नूरुद्दीन खान (45), रफीना (30) और महमूदी (32) घायल हो गए हैं। घायलों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनके अलावा परिवार का एक सदस्य और घायल हुआ, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। नूरुद्दीन खान को सीरियस कंडीशन में जयपुर रेफर कर दिया है। उसके सिर में फावड़े से हमला किया गया था।

घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली औरएनईबी थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। फिलहाल पुलिस मौके और अस्पताल में तैनात है, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं।

OFFICE OF MUNICIPAL BOARD NAWA CITY (DIDWANA-KUCHAMAN)

SR.NO. :MBN/DEV/2025-26/1662 DATE : 13.11.2025

NOTICE INVITING BID

03 Bids for Cleaning work and CC Road at FSTP (cost 25.08 lacs) are invited from interested bidders up-to 12.00 PM (time) 24.11.2025 (date). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state.

NIB NO. DLB2526A8017 UBN No. DLB2526WSOB24079, 24080, 24082

EPROC TENDER ID : 2025_DLB_513033_1, 2, 3

Raj.Samwad/C/25/14056 Executive Officer

Rajasthan Financial Services Delivery Limited

3rd Floor, B-Block, Vitta Bhawan, Janpath, Jaipur-302005 (Raj.)

e-mail Id: rfsdl@rajasthan.gov.in

File No. :- F.1(21)/RFSDL/2025 Date :- 14/11/2025

NOTICE INVITING BIDS (NIB-03/2025-26)

Bid for Empanelment for the Procurement of Consultancy Firms (Tier-I) by RFSDL is invited from interested bidders up to 05.00 PM on dated 04.12.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://sppp.rajasthan.gov.in of the state and RFSDL website https://rfsdl.rajasthan.gov.in). The approximate value of the procurement is INR 25 Crores. UBN Number : FGT2526SLOB00018

Raj.Samwad/C/25/14080 Executive Director (Adm.)

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)

क्रमांकः-न.प.हि./8179 दिनांकः-13.11.2025

-:: ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26 ::-

नगर परिषद हिण्डौन सिटी की ओर से विकास/निर्माण/मरम्मत निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी के नगर परिषद/नगर निगमों/नगर विकास निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए., बी., सी, डी श्रेणियों के संवेदकों/फर्मो के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा प्राप्त की जावेगी। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in/ www.sppp.raj.gov.in पर देखी जा सकती है। UBN NO. DLB2526WSOB24222

समापति, नगर परिषद हिण्डौन सिटी — आयुक्त, नगर परिषद हिण्डौन सिटी

राज.संवाद/सी/25/14061

भरतपुर की सुजान गंगा नगर में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत

यह पहली बार नहीं है, बल्कि प्रतिवर्ष ऐसा ही मामला सामने आता है

भरतपुर शहर की सुजान गंगा नगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियों की मौत हो रही है।

- सुजान गंगा नहर में मछलियों की मौत का मुख्य कारण दूषित पानी है, जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर शहर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली सुजान गंगा नगर में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियों की मौत हो रही है, जिससे निकालने का काम किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि प्रतिवर्ष ऐसा ही मामला सामने आता है। सुजान गंगा नहर में मछलियों की मौत का मुख्य कारण दूषित पानी है, जिससे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो मछलियों के लिए जानलेवा है। सर्दियों में पानी की ऊपरी परत जमने से भी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। इसके अलावा, नहर में जमी गंदगी भी मुख्य वजह है।

नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने कहा कि मछलियों के मृत होनी कि जानकारी मिली थी। मृत मछलियों को बाहर निकालने का ठेका दे रखा है। मछलियों के मरने का कारण ऑक्सीजन की कमी है। आगे मछलियां नहीं मरे इसके लिए ऑक्सीजन के साधन लगाए जायेंगे। फव्वारे भी नहीं चल पा रहे बीडीए से बात कर 8 से 10 घंटे चलवाएंगे। जिससे मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके।

साबिर खान ने बताया कि मृत मछलियों का निकालने का ठेका भतीजे सोनू कुरैशी के नाम से है। इन्होंने बताया कि सुजान गंगा नहर में कचरा जमा है। जिससे पानी दूषित होने से मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी मौत हो रही है, सुजान गंगा नहर से करीब 5 से 6 क्विंटल मछलियों को बाहर निकलवाकर दफनाया गया है। उन्होंने मांग की है दूषित पानी को बाहर निकलवाकर शुद्ध पानी भरा जाए और जो इसमें फव्वारे लगे हुए है उन्हें चलवाया जाए।

वहीं ठेकेदार के द्वारा मृत मछलियों को निकलवाने काम नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा है। मीडिया को देख बच्चे मृत मछलियों को छोड़ भागने लगे। जब इसके बारे में ठेकेदार से बातचीत की तो उन्होंने कहा बच्चे खेलने के लिए आए थे।

दुकान में लाखों की चोरी

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के बाजार नंबर दो में स्थित एक होलसेल किराना दुकान में हुई बड़ी चोरी से इलाके में सनसनी फैल गई। सिटी कंट्रोल रूम के पीछे स्थित हीरा ट्रेडिंग नामक होलसेल किराना शॉप को नकाबपोश चोर ने निशाना बनाया।

दुकान मालिक किशोर गुरनानी ने बताया कि सोमवार रात अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा और गल्ले में रखी नकदी सहित लगभग ढाई लाख रुपये से अधिक की राशि चोरी कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

कार्यालय नगरपरिषद झालावाड़ (राज0)

क्रमांक : न.परि.झा./safai/2025/4556 दिनांकः 14.11.2025

-: ई-निविदा :-

(Nit No. 07/2025-26)

UBN No :- DLB2526WSOB24122

NIB Code :- DLB2526A8025

नगरपरिषद झालावाड़ द्वारा वित्तिय वर्ष 2025.-26 में कार्य विशेश का अनुभव रखने वाले पंजीकृत संवेदको से Operation and maintenance of modern toilet at bhawani park and modular pre-fabricated toilets (5Nos.) in various wards of municipal council Jhalawar for 2 years. हेतु निम्नानुसार निविदायें दिनांक 28.11.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। संवेदक द्वारा निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकेंगे।

आयुक्त, नगरपरिषद् झालावाड

राज.संवाद/सी/25/14089

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति 'द' श्रेणी कुम्हेर, जिला डीग (राज.)

क्रमांक :- राजकाज 18848724 दिनांक :- 14/11/2025

ई-बोली सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति कुम्हेर में वर्ष 2025-26 के निम्न कार्यों हेतु रजिस्टर्ड फर्मो / संस्थाओं / कम्पनियों के निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से ऑनलाईन बोलियाँ आमंत्रित की जाती है।

NIB No.- DAM2526A0561, UBN: DAM2526GLOB00982

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाखों मे)	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति	वेबसाईट से बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	बोली प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि
1	ऑयल टेस्टिंग मशीन की आपूर्ति (01 नग)	15.00	1000+18% GST=1180	30000/-	24.11.2025	24.11.2025	25.11.2025

बोली प्रपत्र वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http:sppp.rajasthan.gov.in से निर्धारित दिनांक अवधि में डाउनलोड किये जा सकते है। बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रोसेसिंग फीस 500/- डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा भौतिक रूप से दिनांक 25. 11.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, कुम्हेर में जमा करानी होगी तथा इनकी स्केन प्रति भी बोली प्रपत्र के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। बोली प्रपत्र ऑफलाईन स्वीकार नही किये जायेगे।

राज.संवाद/सी/25/14099 प्रशासक सचिव